न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2015/00049 (102/2015) दायरा दिनांक : 18.09.2015

उनवान

1–	जयलाल पुत्र दूधा	जाति माली
2–	ब्रजमोहन पुत्र रामगोपाल	निवासी इकतासा तहसील असनावर
3–	हरिश्चन्द्र पुत्र रामगोपाल	जिला झालावाड
4–	लक्ष्मीबाई पत्नी रामगोपाल	

.... अपीलांट

बनाम

1– देवीलाल पुत्र मोतीलाल – मृतक जाति मीणा निवासी इकतासा
1/1–कमलाबाई पत्नी देवीलाल
1/2–भारतभूषण मीणा पुत्र देवीलाल
1/3–बनवारी लाल पुत्र देवीलाल
1/4–प्रकाशचन्द्र पुत्र देवीलाल अकवाम मीणा निवासी इकतासा तहसील असनावर जिला झालावाड (राज0)
2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार असनावर जिला झालावाड राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री बी.एल.माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 03.12.2024

ये अपील उपखण्ड अधिकारी असनावर के प्रकरण संख्या – 363/11/नया 03/14 निर्णय दिनांक 07.07.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 209 एवं बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम इकतासा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड में खेवट संख्या 91 जमाबंदी संवत् 2064 लगायत 2067 के अनुसार देवीलाल पुत्र मोती लाल जाति मीणा निवासी इकतासा के खाते में आराजी खसरा नं. 1060/1397 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, असनावर ने अपने निर्णय दिनांक 07.07.2015 से वादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर वादी अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून है तथा पत्रावली पर आई दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत है एवं अपास्त होने योग्य है। राजस्व अभियान के दौरान जो लोक अदालत कायम की गयी है वह

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

केवल राजीनामा के आधार पर ही प्रकरण का निर्णय उभयपक्ष की सहमति से ही राजी होने पर ही निर्णय कर सकती है। जबकि अपीलांट्स ने कोई सहमति या राजीनामा हेतु प्रार्थना पत्र नहीं पेश किया और ना ही रेस्पोडेंट्स ने ही राजीनामा हेतु कोई प्रार्थना पत्र पेश किया बल्कि मातहत न्यायालय ने गलत तौर से निर्णय पारित कर दिया है जो मनमाना है परवर्स है एवं केप्रिसियस है तथा अपास्त होने योग्य है। प्रकरणा साक्ष्य अपीलांट्स वादीगण में कई पेशीयों से चला आ रहा था जिसमें वादी जयलाल कई पेशीयों पर अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र पेश करने के बाद जिरह के लिए न्यायालय में उपस्थित रहा किन्तु उससे जिरह नहीं की गयी और इसी दौरान मुकदमा नम्बर 363/11 असनावर भिजवा दिया जो काबिल गौर है। अतः अपीलांटस निवेदन करते है कि अपील स्वीकार फरमाते हुए मातहत न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जाये तथा अन्य जो भी सहायता अपीलांटस पाने का पात्र हो वह अदा फरमायी जाये।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंटगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा किया तथा रेस्पोडेट प्रतिवादी ने जवाब भी पेश किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी कायम नहीं की तथा साक्ष्य भी नहीं ली। लोक अदालत कैम्प में केवल आपसी समझौते से ही निर्णय पारित किये जा सकते है। अतः नियमित कोर्ट में सुनवाई कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु पत्रावली रिमाण्ड की जावे।

हमने विद्धान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88,91,91ए, 209 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् वाद प्रस्तुत किया। वाद के मुख्य विवादित तथ्य यह है कि वादीगण अपीलांट के पिता/दादा दूधालाल वल्द उदाजी जाति माली निवासी इकतासा ने साबिक खसरा नं. 801 रकबा 9.01 किस्म माल प्रथम में से रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि द्वारा रजिस्टर्ड बेनामा दिनांक 18.08.1973 को खातेदार मोतीलाल वल्द कालू जी जाति मीणा निवासी इकतासा से कय की थी। इस रजिस्टर्ड बैयनामे व कब्जे के आधार पर वादीगण अपीलांट ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अधीनस्थ न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया।

अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड कर उभयपक्ष की सुनवाई करते हुए राजस्व लोक अदालत कैम्प इकतासा असनावर में दिनांक 07.07.2015 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद खारिज किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.07.2015 में अंकित किया है कि वादी द्वारा किये गये दावे के तथ्यों एवं प्रतिवादी के जवाब एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 26.06.2015 तथा राजस्व रिकार्ड

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हाल/साबिक एवं रजिस्टर्ड बैयनामा दिनंका 18.08.1973 तथा वादी एवं प्रतिवादी की जातियों का अवलोकन किया गया। खातेदार विक्रेता मोतीलाल पुत्र कालू जाति मीणा (अनुसूचित जनजाति) द्वारा क्रेता दूधा पुत्र उदा जाति माली (अन्य जाति) के व्यक्ति को बेचान राजस्थान काश्तकारी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1956 (एक्ट 18 का 1956) एवं संशोधन एक्ट नं. 12 का 1964 प्रभावित दिनांक 01.05.1964 से बाद का विक्रय (दिनांक 18.08.1973) होने के कारण धारा 42 के विरूद्ध अवैध है अतः दावा खारिज/निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार असनावर को इस दिशा निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उभयपक्षों को सुनवाई के उपरांत प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 अन्तर्गत तैयार कर इस न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रेषित करे।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा किया गया ऐसा विक्रय दान या वसीयत जो अनुसूचित जाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जो अनुसूचित जाति का सदस्य न हो शून्य होगा। अतः वादी अपीलांट के पिता/दादा दूधा पुत्र उदा जाति माली द्वारा दिनांक 18.08.1973 को जरिये रजिस्टर्ड बैनामा विक्रेता मोतीलाल पुत्र कालू जाति मीणा से साबिक खसरा नं. 801 की भूमि में से 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि के क्रय के आधार पर अपीलांट के खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते क्योंकि उक्त बेचान और क्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के विरूद्ध होने से प्रभाव शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2015 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुरूप होने से वैधानिक रूप से विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय को तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर खारिज करना हम उचित नहीं समझते।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

03/12/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा